न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 33/2017

श्री सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,प्रतापगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1- श्री मनीष मेहता पुत्र श्री सज्जन सिंह मेहता, मेसर्स कंचन एजेन्सी, उदयपुर रोड़, धरियावद जिला प्रतापगढ़
2- श्री ज्ञानचंद गबरा पुत्र श्री शन्तुमल गबरा मेसर्स शिवकरण ब्रदर्स, ई 23–24, सुखेर बाईपास, प्रतापनगर उदयपुर
3- श्री ललित लोढ़ा पुत्र श्री गुमानीलाल लोढ़ा, मेसर्स शिवकरण ब्रदर्स, ई 23–24, सुखेर बाईपास, प्रतापनगर उदयपुर
4- श्री सुरेश कुमार दक पुत्र श्री सोहनलाल दक, मेसर्स शिवकरण ब्रदर्स, ई 23–24, सुखेर बाईपास, प्रतापनगर उदयपुर
5- मेसर्स शिवकरण ब्रदर्स, ई 23–24, सुखेर बाईपास, प्रतापनगर उदयपुर
6- श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक, मेसर्स नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, एम 5–ए कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001
7–मेसर्स नेस्ले इण्डिया लिमिटेड, एम 5–ए कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001
8- श्री चंरजीव सिंह M/s Nestle india limited, Ludhiana-Ferojpur road, near Kingwah canal Moga-142001 Distt-Moga (Punjb)
9- M/s Nestle india limited, Ludhiana-Ferojpur road, near Kingwah canal Moga-142001 Distt-Moga (Punjb)

– अप्रार्थीगण

:–आदेश–:

दिनांक 16/10/2019

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थीगण के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीयान ने मिसब्राण्डेड व सबस्टेण्डर्ड Milk Cereal Based Complementary Food (Nestle) (Cerelac) Wheat Rice Mixed Fruit का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद । अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र , फर्म पंजीयन के सम्बन्ध में वाणिज्य कर अधिकारी को प्रेषित एवं प्राप्त पत्र , फर्म के सम्बन्ध में वार्षिक रिटर्न मय ट्रेडिंग अकाउण्ट/ ऑडिट रिपोर्ट की सूचना चाहने बाबत वाणिज्य कर अधिकारी को प्रेषित एवं प्राप्त पत्र । विक्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं शपथ पत्र , तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 17.09.2016 को दौराने गश्त 1.00 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मै0 कंचन एजेन्सी, उदयपुर रोड़, धरियावद पहुंचा, अपना परिचय दिया तथा उनका परिचय लिया। उस समय दूकान पर श्री मनीष मेहता पुत्र री सज्जन सिंह मेहता! उपस्थित थे । विक्रेता से पुछने पर उक्त संस्थान का का मालिक स्वयं को होना बताया व स्थाई निवासी निचला बाजार, धरियावद होना बताया । वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञापत्र हेतु चालान की छायाप्रति प्रस्तुत की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया जहां पर Milk Cereal Based Complementary Food (Nestle) (Cerelac) Wheat Rice Mixed Fruit के 300—300 ग्राम वाले 10 पैकेट मूल ही सिल्ड अवस्था में आमजनता को बिक्री वास्ते रखे हुए थे तथा प्रत्येक पैकेट पर net weight 300 gm., Lot No. 61990451DC MFD/Expiary date/MRP-July16/July17/Rs. 205/-Manufactured by Nestle India Ltd., M-5A, Connaught circus, New Delhi-110001 at Ludhiana-ferojpur road, Moga-142001 (Punjab) Fssai Lic. No. 10012063000064 Green symbol of veg present, information of nutronal given, ingrediants given, FSSAI Lic. No. 10012011000168 आदि अंकित था। मिसब्राण्ड, सबस्टेण्डर्ड व अनसेफ का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रूबरू गवाह के सामने नमूना जॉच वास्ते हेतु लेने की सूचना मालिक को प्रपत्र 5 ए भरकर नियमानुसार मौके पर दी एवं रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व एफबीओ के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5 ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया गया था कि Milk Cereal Based Complementary Food (Nestle) (Cerelac) Wheat Rice Mixed Fruit का नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जॉच हेतु

न्याय निर्णयन अधिकारी ए
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रता

लिया जा रहा है। प्रपत्र 5 ए की असल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मौके पर विक्रेता ने Milk Cereal Based Complementary Food (Nestle) (Cerelac) Wheat Rice Mixed Fruit को मेसर्स शिवकरण ब्रदर्स, ई–23–24, सुखेर बाईपास, प्रतापनगर, उदयपुर से खरीदने का वेट इनवोईस/बिल नं. एसकेबीआर11352 दिनांक 22.08.16 को प्रस्तुत किया जिसकी प्रमाणित प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर गवाहो एवं मालिक की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ Milk Cereal Based Complementary Food (Nestle) (Cerelac) Wheat Rice Mixed Fruit के 300–300 ग्राम वाले 8 पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु मालिक से खरीदे जिसकी किमत विक्रेता को 1505 रू नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद की मूल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा पैकेटो को चार जगह बराबर–बराबर बांटकर दो–दो पैकेटो का चार अलग–अलग हिस्से में बांधा गया। उक्त खरीदशुदा पैकेटो के लिये विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये जिस पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कोड व सीरियल नम्बर वाई–778 लिखकर अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर मालिक विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी लेबल पर हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक नमूना पैकेटो के हिस्सो पर गोदं से चिपकाया। प्रत्येक नमूना पैकेटो के हिस्सो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक वई 778 गोंद से गोलाई में चिपकाई ,धागे से बांध कर सिल चपड़ी से सीलबन्द मोहर किया गया । प्रत्येक सीलबंद नमूना डिब्बों के कागज पर नमूने का विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी व गवाहान ने हस्ताक्षर किये। विक्रेता मालिक ने पेपर स्लिप व खाकी कागज क्रॉस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका फर्द बनाई गई जिसे मालिक व गवाहान को पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा गया ,जिन्होने पढ़, सुन समझकर कर अपने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सिल किया था जिसका निशान मौके पर मौका फर्द पर अंकित किया । उक्त समस्त कार्यवाही मालिक व गवाहान की उपस्थिति में की गई ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

कार्यालय में पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सिल लगाई जिससे नमूना सिल की थी। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर श्री माजीद अली च.श्रे.क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी प्रतापगढ़ के द्वारा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 19.09.2016 को देकर रसीद प्राप्त की । 1 नमूना मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 19.09.2016 को जमा करा कर रसीद प्राप्त की तथा दो सीलबन्द नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है । शेष चौथा नमूना मय फार्म नं0 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 19.09.2016 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह है कि मेसर्स शिवकरण ब्रदर्स, उदयपुर को फार्म नं. 5 ए की छायाप्रति एवं वेट इनवोईस की छायाप्रति भिजवाने बाबत् एवं फर्म से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु रजिस्टर्ड पत्र लिखा गया जिसके प्रतिउत्तर में श्री सुरेश कुमार दक को मेसर्स शिवकरण ब्रदर्स को लिगल मैटर्स हेतु नोमिनी बनाने का पत्र की छायाप्रति, पार्टनरशिप डीड की छायाप्रति, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फार्म वेट –03 की छायाप्रति, खाद्य अनुज्ञापत्र ऑनलाईन करने का अक्लोजमेंट रिसीप्ट तथा खाद्य पदार्थ नं. 9 मय रेज्यूलेशन की प्रतिकेशव इन्टरप्राइजेज प्रतापगढ़ के पत्र के साथ में प्राप्त लाइसेंस ऑनलाईन आवेदन करने का एक्लोजमेन्ट रिसीप्ट तथा खाद्य पदार्थ Milk Cereal Based Complementary Food (Nestle) (Cerelac) Wheat Rice Mixed Fruit को नेस्ले इण्डिया लिमिटेड जयपुर से खरीदने का बिल/वेट इनवोइस नं. 937503095 दिनांक 03.08.2016 की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया Milk Cereal Based Complementary Food (Nestle) (Cerelac) Wheat Rice Mixed Fruit का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत misbranded तथा धारा 3(1)(zx) के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा उपरोक्त समस्त अप्राथीगणों को खाद्य विश्लेषक उदयपुर की जॉच रिपोर्ट के विरूद्व अपील हेतु अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजे गये ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

यह कि Nestle India ltd. से प्रतिउत्तर में Nestle India ltd, M-5A, Connaught circus, New dehli संस्थान का पुरा नाम व विवरण, Constitution of Establishment, Nomination Details (नोमिनेशन मय रेज्यूलेशन विवरण Nestle india Ltd, C/o DHL Supply chain india private limited, sonipat से सम्बन्धित था) delivery challan & FSSA Licencse की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि Nestle India ltd., Moga Factory, Ludhaina-ferojpur road, Moga को वेट इनवोइस की छायाप्रति भिजवाने बाबत् तथा फर्म से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में Nestle india ltd new dehli संस्थान का नाम व पूर्ण विवरण, Constitution of Establishment, Nomination Details (नोमिनेशन मय रेज्यूलेशन विवरण चाही गई सूचना के अनुसार थे) delivery challan & FSSA Licencse की छायाप्रति पुनः मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थीगण अभियुक्तों स्वयं मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर संयुक्त रूप से जवाब प्रस्तुत किया। अपने जवाब व मौखिक बहस में बताया कि " खाद्य विश्लेषक ने अपनी जॉच रिपोर्ट में नमूना किस कारण से मिसब्राण्ड व सबस्टेण्डर्ड होता है यह जॉच रिपोर्ट में कहीं भी उल्लेख नही किया गया है। इस कारण से केवल खाद्य विश्लेषक के लिख देने मात्र से अप्रार्थीगण के विरूद्व मिसब्राण्ड व सबस्टेण्डर्ड का प्रकरण आयद नही होता है।"

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

दौराने बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी से इस संबंध मे समस्त तथ्यों व विश्लेषण के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दूवार स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया। उक्त पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया एवं न ही स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई औचित्यपूर्ण टिप्पणी की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह कहा गया कि उनके द्वारा यह प्रार्थना पत्र खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इस हेतु, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को भी कई बार साक्ष्य हेतु तलब किया गया परन्तु साक्ष्य एक भी बार न्यायालय में उपस्थित नही हुआ एवं न ही खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस 545/Act/2016/577 दिनांक 14.10.2016 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान से बेचा जा रहा Milk Cereal Based Complementary Food (Nestle) (Cerelac) Wheat Rice Mixed Fruit होना पाया गया है, का भी कोई स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है।

अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत, जबकि प्रार्थी स्वयं अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को औचित्यपूर्ण व तथ्यात्मक रूप से अधिनियम के प्रावधानानुसार सिद्व करने में असफल है, इस प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़